राजस्व लोक अदालत (न्याय आपके द्वार –2018) कैम्प कोर्ट– जसाना

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी :– सैयद शीराज अली जैदी (आर.ए.एस.)

वाद सं0 :53 सन 2018

1. राजेन्द्र पुत्र निहालचन्द उर्फ निहालसिह जाति ब्रहाम्ण निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. ओमप्रकाश पुत्र निहालचन्द उर्फ निहालसिह जाति ब्रहाम्ण निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 वन्दना पत्नी सुरेश कुमार जाति ब्रहाम्ण निवासी फेफाना तहसील नोहर

2 गायत्री शर्मा 3 डिम्पल शर्मा पुत्रिया सुरेश कुमार जाति ब्रहाम्ण निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

4. शकन्तला शर्मा 5 शारदा देवी 6 निर्मला पुत्रिया निहालचन्द उर्फ निहालसिह जाति ब्रहाम्ण निवासी फेफाना तहसील नोहर।

7. मैनेजर , भारतीय स्टेट बैक शाखा फेफाना तहसील नोहर।

8. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर ।

प्रतिवादीगण

अर्जीदावा इश्तकरार हक स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 18.05.2018

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्व लोक अदालत " (न्याय आपके द्वार – 2018") में पेश कर निवेदन किया कि रोही मौजा चक 5 ए बारानी के खाता संख्या 272/231 की कुल 24.6830हैक्ट में से प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 का 1/80 हिस्सा , चक 5 केएनएन के खाता संख्या 8/7 की कुल 5.0570हैक्ट में से प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 का 1/10 हिस्सा बहिब व खाता संख्या 75/70 की कुल 0.5050हैक्ट में प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 का 1/15 हिस्सा बहिब व रोही मौजा चक 7 केएनएन के खाता संख्या 73 की कुल 0.4430हैक्ट में से 1/10 हिस्सा बहिब प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 के व रोही मौजा चक 8 जेएसएन के खाता संख्या 93 की कुल 6.8420हैक्ट में से 1/10 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 के नाम से दर्ज है वाद भूमि पैतृक सम्पति है जो निहालचन्द के देहान्त होने के बाद उसके जायज वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 के नाम से सयुक्त खाता में दर्ज है जिसमें प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 ने अपने हकों का त्याग वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में त्याग कर दिया है इसलिये वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है।

वादी का वाद राजस्व लोक अदालत – 2018 कैम्प कोर्ट में पेश होने पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 स्वय उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 ने निवेदन किया की वाद भूमि में उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में त्याग कर दिया है इसलिये वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि पूर्व में वादीगण के पिता के निहालचन्द के नाम से दर्ज थी जिसके देहान्त होने पर विरास्तन से वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के नाम से दर्ज हुई है जो जमाबन्दी से साबित है वादीगण का कथन है प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 ने अपने हक हिस्सा की भूमि को वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में त्याग कर दिया है वादीगण के कथनों को प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 ने स्वीकार किया जाकर राजीनामा पेश किया जा चुका है वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 की सहमति के आधार पर वाद वादीगण काबिल डिग्रि है किन्तु प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 ने अपने हकों का त्याग करने के कारण स्टाम्प डयूटी कायम की जानी उचित है।

अतः वादी का वाद साक्ष्य सबुतों /प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिग्रि किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 5 ए बारानी के खाता संख्या 272/231 की कुल 24.6830हैक में से प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 का 1/80 हिस्सा बहिब दर्ज है, चक 5 केएनएन के खाता संख्या 8/7 की कुल 5.0570हैक में से प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 का 1/10 हिस्सा बहिब व खाता संख्या 75/70 की कुल 0.5050हैक

5050हैक्ट में प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 का 1/15 हिस्सा बहिब व रोही मौजा चक 7 केएनएन के खाता संख्या 73 की कुल 0.4430हैक्ट में से 1/10 हिस्सा बहिब प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 के व रोही मौजा चक 8 जेएसएन के खाता संख्या 93 की कुल 6.8420हैक्ट में से 1/10 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 के नाम से बहिब दर्ज है में प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 का नाम कलमजन किया जाकर इनके नाम से दर्ज भूमि के वादीगण संख्या 1 ,2 एवं प्रतिवादी संख्या 1 बहिब के खातेदार काश्तकार है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु 5000/– अखरे रूप्ये पाचं हजार का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्रि जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 18.05.2018 को मेरे द्वारा राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार – 2018 में लिखाया जाकर मजमें आम में सुनाया गया ।

शिविर प्रभारी
राजस्व लोक अदालत 2018
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
कैम्प कोट–जसाना

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

राजस्व लोक अदालत (न्याय आपके द्वार –2018) कैम्प कोर्ट– जसाना

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :– सैयद शीराज अली जैदी (आर.ए.एस)

वाद सं0 : 53 सन 2018

1. राजेन्द्र पुत्र निहालचन्द उर्फ निहालसिह जाति ब्रहाम्ण निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. ओमप्रकाश पुत्र निहालचन्द उर्फ निहालसिह जाति ब्रहाम्ण निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 वन्दना पत्नी सुरेश कुमार जाति ब्रहाम्ण निवासी फेफाना तहसील नोहर

2 गायत्री शर्मा 3 डिम्पल शर्मा पुत्रिया सुरेश कुमार जाति ब्रहाम्ण निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

4. शकन्तला शर्मा 5 शारदा देवी 6 निर्मला पुत्रिया निहालचन्द उर्फ निहालसिह जाति ब्रहाम्ण निवासी फेफाना तहसील नोहर।

7. मैनेजर , भारतीय स्टेट बैक शाखा फेफाना तहसील नोहर।

8. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 48 सन 2018 निर्णय दिनांक– 18.05.2018

आज यह वाद राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार – 2018 में मुझ सैयद शीराज अली जैदी उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो के आधार पर साबित होने के कारण ड्रिकि किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 5 ए बारानी के खाता संख्या 272/231 की कुल 24.6830हैक्ट में से प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 का 1/80 हिस्सा बहिब दर्ज है, चक 5 केएनएन के खाता संख्या 8/7 की कुल 5.0570हैक्ट में से प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 का 1/10 हिस्सा बहिब व खाता संख्या 75/70 की कुल 0.5050हैक्ट में प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 का 1/15 हिस्सा बहिब व रोही मौजा चक 7 केएनएन के खाता संख्या 73 की कुल 0.4430हैक्ट में से 1/10 हिस्सा बहिब प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 के व रोही मौजा चक 8 जेएसएन के खाता संख्या 93 की कुल 6.8420हैक्ट में से 1/10 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 के नाम से बहिब दर्ज है में प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 का नाम कलमजन किया जाकर इनके नाम से दर्ज भूमि के वादीगण संख्या 1 ,2 एवं प्रतिवादी संख्या 1 बहिब के खातेदार काश्तकार है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु 5000/– अखरे रूप्ये पाचं हजार का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

निर्णय आज दिनांक 18.05.2018 को मेरे द्वारा राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार – 2018 में लिखाया जाकर मजमें आम में सुनाया गया ।

शिविर प्रभारी

राजस्व लोक दालत–2018

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

नोहर (हनुमानगढ)

कैम्प कोट– जसाना